

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 56/2023

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

पूनमाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 80 वर्ष  
जाति जाट निवासी धोलाडेर खटिया  
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

1. जुंझाराम पुत्र विरधाराम उम्र 70 वर्ष
2. भगवानाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 60 वर्ष
3. खेमाराम पुत्र देवाराम उम्र 70 वर्ष
4. रामाराम पुत्र देवाराम उम्र 65 वर्ष
5. तुलछाराम पुत्र देवाराम उम्र 60 वर्ष
6. रामाराम पुत्र राणाराम उम्र 28 वर्ष
7. चेतनराम पुत्र राणाराम उम्र 45 वर्ष
8. दलुदेवी पत्नि अनाराम उम्र 40 वर्ष
9. जुंझाराम पुत्र अनाराम उम्र 30 वर्ष
10. मालाराम पुत्र अनाराम उम्र 27 वर्ष
11. मूलाराम पुत्र अनाराम उम्र 20 वर्ष
12. नरसिंगाराम पुत्र विरधाराम उम्र 80 वर्ष
13. किस्ताराम पुत्र मंगलाराम उम्र 50 वर्ष
14. भीयाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 45 वर्ष
15. सताराम पुत्र मंगलाराम उम्र 40 वर्ष
16. मगाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 35 वर्ष
17. रेखाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 30 वर्ष
18. पुनमाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 28 वर्ष
19. सताराम पुत्र रतनाराम उम्र 55 वर्ष
20. करनाराम पुत्र रतनाराम उम्र 70 वर्ष
21. चेनाराम पुत्र पदमाराम उम्र 60 वर्ष
22. टीकूराम पुत्र पदमाराम उम्र 50 वर्ष  
जातियान जाट निवासी धोलाडेर, खरंटिया  
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
23. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 20.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा धोलाडेर पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 124/24 रकबा

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

5.8248 हैक्टेयर, खसरा संख्या 24/4 रकबा 6.9008 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा धोलाडेर पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 124/24 रकबा 5.8248 हैक्टेयर, खसरा संख्या 24/4 रकबा 6.9008 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा धोलाडेर पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 124/24 रकबा 5.8248 हैक्टेयर, खसरा संख्या 24/4 रकबा 6.9008 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढों की माटों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा धोलाडेर पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 124/24 रकबा 5.8248 हैक्टेयर, खसरा संख्या 24/4 रकबा 6.9008 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा धोलाडेर पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 124/24 रकबा 5.8248 हैक्टेयर, खसरा संख्या 24/4 रकबा 6.9008 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामिली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई

आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धोलाडेर पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 124/24 रकबा 5.8248 हैक्टेयर, खसरा संख्या 24/4 रकबा 6.9008 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

  
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी